न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–24/2019/आवेदन अं0 धारा 111, 118 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. सुखदेव प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी झामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. पेमा पुत्र बालू
2. बंशीधर पुत्र बालू
3. बिदामी बेवा गोमाराम
4. संदीप कुमार दत्तक पुत्र गोमाराम
5. रूकमा बेवा नन्दाराम
6. विमला देवी पुत्री नन्दाराम
7. धन्नाराम पुत्र भूराराम
8. रामेश्वर पुत्र भूराराम
9. कजोड़ पुत्र भूराराम
10. मोहन पुत्र भूराराम
11. उप–स्वास्थ्य केन्द्र लाडपुर प्रभारी अधिकारी सामुदायिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र खाटूश्यामजी जिला सीकर राज0
12. मूला पुत्र सुण्डा
13. रामचन्द्र पुत्र रेखाराम
14. छिगनलाल पुत्र खेमाराम
15. मदनलाल पुत्र खेमाराम
16. पन्नाराम पुत्र खेमाराम
17. बिदामी देवी पुत्री खेमाराम
18. नर्बदा देवी पत्नि खेमाराम
19. संजया देवी पत्नि खेमाराम
20. भगवाना } पुत्रगण गणेशराम
21. प्रभात }
22. सोहनलाल }
23. बद्री }
24. छोटू

    समस्त जाति कुमावत निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
25. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः

1. श्री भवानीसिह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अप्रार्थी संख्या 3, 5, 10, 12 व 14 की ओर सें।
3. शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

निर्णय दिनांक 18.12. .2020

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 है0 किता 1 कुल रकबा 0.07 हैक्टर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसका प्रार्थी एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 456 के उत्तर व पूर्व साईड में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 457, 458, 459, 461 अवस्थित है। उत्तर व पूर्व साईड के पड़ौसी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 456 की सीमा पर छेड़खानी करने व सीमा को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा करने पर प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहां सीमाज्ञान का आवेदन पेश करने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ ने क्रमांक/भूं/अ0/16/1862 दिनांक 24.06.2016 द्वारा पटवारी को आदेश दिया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का लाडपुर द्वारा दिनांक 25.06.2016 को प्रार्थी की एकल खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 456 तन ग्राम लाडपुर का सीमाज्ञान उपस्थित मौतबिरान एवं पक्षकारान की उपस्थिति में भूमि का नाम किया जाकर सीमा निर्धारण कर सीमाज्ञान करवा दिया। दिनांक 01.05.2019 को श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के आदेश से करवाई गई खसरा नम्बर 456 की सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थी द्वारा पक्के सीमा चिन्ह हेतु पीलर लगाकर तारबंदी करनी शुरू की तो अप्रार्थीगण द्वारा ऐतराज किया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह नही करने दिया। अप्रार्थीगण के मन में प्रार्थी की भूमि को हड़प करने का इरादा पैदा हो गया है। इसीके चलते प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 456 की उत्तर व पूर्व सीमा पर पक्के सीमाचिन्ह अनुचित अनाधिकृत अवैध कार्यवाही में नही लगाने दे रहे है। इस कारण से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 456 की उत्तरी पूर्वी सीमा कायम करवाकर पक्के सीमा चिन्ह करवाई जानी उचित व न्याय संगत है। पुख्ता सीमाचिन्ह व तारबंदी व अन्य खर्चे प्रार्थी को निर्देश देने पर लगाने को तैयार है। इस कारण यह आवेदन पेश किया जाना लाजिम आया है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की वाके ग्राम लाडपुर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 है0 किता 1 कुल रकबा 0.07 हैक्टर की पुख्ता चिन्ह कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित, आवश्यक व न्यायसंगत है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 10, 12 व 14 की ओर से वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा हाजिर आये और जबाब ओवदन पेश किया जिसमें कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 456 तन लाडपुर की सीमा कायम है। अप्रार्थीगण की भूमियों की सीमा कायम है। गलत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवना चाहते है। अगर किसी काश्तकार की भूमि पर पड़ौसी काश्तकार ने कब्जा कर रखा है तो बेदखली का वाद पेश करना

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

आवश्यक है। आवेदक को आवेदन मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाने की कृपा करे। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमान्दी संवत् 2069-72 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 456 रकबा 0.0700 है0 किता 1 कुल रकबा 0.0700 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का लाडपुर दिनांक 25.06.2016 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2016 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ